[श्री राम बिलास पासवान]

नहीं किया जायगा किन्तु इस बात का क्या विश्वास है कि जब जनरल हक काश्मीर को विश्व की एक समस्या मानते हैं तो वह उसे हल करने के लिए भारत के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि इस विषय में क्या किया जा रहा है और क्या विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है ।

(iii) SPREADING OF JAUNDICE IN PATNA and Aramgarh

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में पीलिया रोग का प्रकोप–

बिहार की राजधानी पटना के सब से बड़े आवासीय उप-नगर कंकड़बाग में रहने वाला हर पांचवां व्यक्ति पीलिया रोग का शिकार है । उस क्षेत्र की आबादी हजारों की है । अतः स्थिति की भयंकरता का अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है ।

पत्रकारों के एक दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार नमूने के तौर पर जिन 39 परिवारों से उन्होंने पूछताछ की उन में 30 परिवारों में पीलिया के रोगी पाये गये । एक परिवार में चार चार व्यक्ति तक पीलिया से ग्रस्त देख गये । लोगों में भयंकर आतंक है ।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भी पीलिया रोग का भयंकर प्रकोप है । दस हजार से अधिक लोग इस घातक बीमारी से ग्रस्त हैं । खबर है कि पांच सौ से अधिक रोगियों की मृत्यु हो चुकी है ।

(iv) SILENT VALLEY PROJECT SCHEME IN KERALA.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I beg to mention the following matter of public importance under Rule 377:

One of the most important Hydro Electric Project Scheme in Kerala, called 'The Silent Valley Project Scheme' is at a standstill because of the stay ordered by the Governor of Kerala on the eve of Kerala Election.

The earlier Government of Kerala had already invested nearly two crores of rupees and already under a statute all protective measures were taken to see that any ecological imbalance should not occur.

Sir, my only submission is that this deadlock over the project must be put an end to in the best interest of the Kerala State and the project may be given clearance.

(v) PURCHASE OF ONIONS BY NAFED IN MAHARASHTRA.

SHRI RAM KRISHNA MORE (Khed): I beg to mention the following matter of public importance under Rule 377:

The policy following by NAFED in Maharashtra regarding purchase of onions from agriculturists has resulted in great injustice to agriculturists and consumers. While the agriculturists do not get remunerative price, the consumer has to pay about Rs. 3 per kg. for onions. The benefit of this policy goes only to the middle men wha are exploiting both the agriculturists and the consumers. It is, herefore, necessary to give proper directions to NEFED to amend its policy in such a way that it will benefit both agriculturists and the consumer.

(vi) NEED TO INCREASE QUOTA OF DIESEL, KEROSENE OIL AND COAL FOR UTTAR PRADESH.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): सभ्यक्ष महोदय मैं आप की अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखत विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

हमारे देश में डीजल, मिट्टी के तेल और कोयले का अभाव पिछले कई महीनों से चल रहा है जिस के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों के दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इन दिनों उत्तर प्रदेश में लोगों की इन कठिनाइयों के बढ़ने की आशंका है ।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को डीजल, मिट्टी का तेल और कोयले का जो कोटा इस समय दिया जा रहा है उस में वृद्धि की जाय तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित वितरण व्यवस्था जो पूर्णतः दोषपूर्ण है, को सुधारने के लिए उचित प्रयास किये जायें ।